नई दिल्ली, 1 सितम्बर 1979

का० आ० 2982.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ?

2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में,—

(1) नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि अभिकरण-कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन किसी जांच सेवक की नियुक्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जहां कि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां उपनियम (7) से लेकर उप-नियम (20) तक में और उपनियम (22) में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है";

(2) नियम 11 के उप-नियम 5 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"5(ग) जहां कि अनुशासन प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेदों की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है वहां वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि-व्यवसायी को, आदेश द्वारा, नियुक्त कर सकेगा, जो "उपस्थापक आफिसर" के नाम से ज्ञात होगा";

(3) नियम 11 के उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(8) अभिकरण कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि-व्यवसायी तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक आफिसर विधि व्यवसायी नहीं है अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे";

3. नियम 24 के उप-नियम (2) के परन्तुक (1) और (2) में से निम्नलिखित शब्दों का, जहां कहीं वे आए है, लोप किया जाएगा, अर्थात :—

"प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, नियम 12 के उप-नियम (4) के उपबन्धों के यावतशक्य अनुसार अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात"।

4. नियम 26 के परन्तुक (2) में से निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात :—

"तथा संबंधित व्यक्ति को ऐसे अभ्यावेदन जैसे कि वह अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध करना चाहता है करने का अवसर देने के पश्चात"।

[सं० 3/11/76 ई० आई एण्ड ई० पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 1st September, 1979

S.O. 2982.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz.—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978.—

(1) for sub-rule (2) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiry into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against agency employee, it may itself, inquire or appoint under this rule a public servant to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) to the inquiry authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority";

(2) for sub-rule 5(c) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"5(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a public servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of articles of charge.";

(3) for sub-rule (8) of rule 11, the following shall be substituted, namely :—

"(8) The agency employee may take the assistance of any public servant to present the case on its behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the presenting officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority having regard to the circumstnces of the case, so permits";

3. In provisos (i) and (ii) of sub-rule (2) of rule 24, the following words, wherever they occur, shall be omitted, namely :—

"after giving the appellant a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 12 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such enquiry".

4. In the proviso (ii) of rule 26, the following words shall be omitted, namely :—

"after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty".

[F. No. 3(11)76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director